

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

श्रीराम गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार
22/20 (जीसीएमएस नं. 2020/00637)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

17.08.21

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में है तथा अपीलान्ट की मृत्यु होना उनके अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट की मृत्यु ही हो गई है और प्रकरण अतिक्रमण सम्बन्धी है तो अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय अध्यक्ष
जयपुर 17/8/21